

अनुसूचित जनजाति और  
अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)  
नियम, 2007  
भारत सरकार,

**जनजाति कार्य मंत्रालय**

उपाबंध - 1

[नियम 6(ङ) देखें]

प्रस्तुति - क

वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप

[ नियम 11(1)(क) और (4) देखें]

1. दावेदार(रों) का/के नाम
  - क. एफडीएसटी समुदाय : हाँ/ नहीं
  - ख. ओटीएफडी समुदाय : हाँ/ नहीं
2. ग्राम :
3. ग्राम पंचायत :
4. तहसील/ तालुका :
5. जिला :

प्रयोग किए गए सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :--

1. सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, यदि कोई हो :  
(अधिनियम की धारा 3(1)(ख) देखें)
2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :  
(अधिनियम की धारा 3(1)(ग) देखें)
3. सामुदायिक अधिकार
  - क. उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय), यदि कोई हो :
  - ख. चरने हेतु, यदि कोई हो :
  - ग. पारंपरिक संसाधनों तक यायावरों और पशुपालकों की पहुंच, यदि कोई हो,  
(अधिनियम की धारा 3(1) (छ) देखें)
4. पीटीजी व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पूर्ववास की सामुदायिक अवधियां, यदि कोई हो :  
(अधिनियम की धारा 3(1) (झ) देखें)
5. जैव विविधता तक वैदिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच का अधिकार, यदि कोई हो :  
(अधिनियम की धारा 3(1)(ट) देखें)
6. अन्य पारंपरिक अधिकार, यदि कोई हो :  
(अधिनियम की धारा 3(1) (ठ) देखें)
7. समर्थन में साक्ष्य :  
(नियम 13 देखें)
8. अन्य कोई सूचना :

दावेदार(रों) के  
हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

अनुसूचित जनजाति और  
अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)  
नियम, 2007  
भारत सरकार,

**जनजाति कार्य मंत्रालय**  
**उपांबंध - 2**  
**[नियम 8(ज) देखें]**  
**अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक**

1. वन अधिकारों के धारक (कों) का/के नाम (पति या पत्नी सहित) :
2. पिता/माता का नाम :
3. आश्रितों का नाम :
4. पता :
5. ग्राम :
6. ग्राम पंचायत :
7. तहसील/तालुका :
8. जिला :
9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परंपरागत वन निवासी :
10. क्षेत्रफल :
11. खसरा/ कंपार्टमेंट सं. सहित प्रमुख सीमाचिह्न द्वारा सीमाओं का विवरण :

यह हक दाय योग्य है किंतु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अदीन अन्यरांक्राम्य या अंतरणीय नहीं है  
:--

हम, अधोहस्ताक्षरी,.....(राज्य का नाम) सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की  
पुनिट करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

मंडलीय वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक

जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी

जिला कलक्टर/ उप आयुक्त

अनुसूचित जनजाति और  
अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)  
नियम, 2007  
भारत सरकार,

जनजाति कार्य मंत्रालय

उपांबंध - 3

[नियम 8 (6ज) देखें]

सामुदायिक वन अधिकारों के लिए हक

1. सामुदायिक वन अधिकारों के धारक (कों) का/के नाम :  
(उपांबंध के अनुसार)  
2. ग्राम/ ग्राम सभा :  
3. ग्राम पंचायत :  
4. तहसील/तालुका :  
5. जिला :  
6. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परंपरागत वन निवासी :  
7. सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप  
8. शर्तें यदि कोई हो  
9. निम्नलिखित के साथ सीमाओं के विवरण  
रुडिंजन्य सीमा और/ या खसरा/ कंपार्टमेंट सं.  
सहित प्रमुख सीमा चिन्ह

सामुदायिक वन अधिकार का/ के धारक (कों) का/के नाम :

1. ....
2. ....
3. ....

हम, अधोहस्ताक्षरी,.....(राज्य का नाम) सरकार के लिए और उसी ओर से, सामुदायिक वन अधिकारों के उपरोक्त उल्लिखित धारकों के हक में यथा उल्लिखित वन अधिकार की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

मंडलीय वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक

जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी

जिला कलकेटर/ उप आयुक्त